



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(सहायक कलक्टर),ओसियां

दिनांक	फर्द अहकाम	हस्ताक्षर
3/12/19	<p>पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार, आसियां द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम <u>N/3</u> ..... के खसरा नम्बर <u>294</u> ..... वक्त सैटलमेंट से राजस्व नक्शे में खसरा दर्ज होकर आकृति बनी हुई है। लेकिन जमाबंदी/मिसल बन्दोबस्त में रकबा अभिलिखित नहीं है। जमाबंदी में दर्ज किया जावे।</p> <p>राजस्व नक्शे में फिक्स आकृति होने से यह रकबा अन्य किसी नम्बर में जुड़ा हुआ नहीं है।</p> <p>भू प्रबंध के समय नक्शे में आकृति बन जाने के बाद भी जमाबंदी/मिसल बन्दोबस्त में रकबा अंकन न करना यह भू प्रबंध विभाग की लिपिकीय त्रुटी है, जिसका सुधारा जाना आवश्यक है। वर्तमान में डीआईएलआरएमपी के तहत वन टू वन मैपिंग कार्य करते समय यह भूल ध्यान में आई। अतः नक्शे की आकृति का रकबा का नाप बाबत पटवारी व निरीक्षक की रिपोर्ट ली जाकर कुल रकबा <u>93.16</u> ..... बीघा बिलानाम सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाकर दुरुस्ती की जाती है।</p>	<p style="text-align: right;">   <b>उप खण्ड अधिकारी</b>   एवं  <b>सहायक कलक्टर</b>                      आसियां                 </p>